

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 50 / 12
संस्थित दि.: 31 / 01 / 12

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 01— सागर पिता संतलाल अजीत, उम्र वर्ष 26 साल,
साकिन लोरा हाल मुकाम वार्ड नं. 12 बैहर, जिला बालाघाट
- 02— राज पिता संतलाल अजीत, उम्र 18 साल,
साकिन लोरा हाल मुकाम वार्ड नं. 12 बैहर, जिला बालाघाट
- 03— संतलाल पिता किसनलाल अजीत, उम्र 65 साल,
साकिन लोरा हाल मुकाम वार्ड नं. 12 बैहर, जिला बालाघाट
- 04— सम्पतिया पति संतलाल अजीत उम्र 56 साल,
साकिन लोरा हाल मुकाम वार्ड नं. 12 बैहर, जिला बालाघाट

..... आरोपीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 10 / 07 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447, 457, 294, 323 / 34 का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 29 / 12 / 2011 को समय 09:30 बजे, ग्राम लोरा थाना मलाजखण्ड में फरियादी भानूप्रताप अजीत के कब्जे की सम्पत्ति को फरियादी को अभित्रास कारित करने के आशय से प्रवेश का आपराधिक अतिचार कारित किया तथा कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से भानूप्रताप अजीत के मकान जो मानव निवास व सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है में सूर्यस्त के बाद एवं सूर्यस्त के पूर्व प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं लोकस्थान पर फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया व सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भानूप्रताप अजीत ने दिनांक 01.03.2011 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 29.12.2011 को रात्रि के 09:30 बजे वह उसके घर में उसकी पत्नी से बात कर रहा था तभी पड़ोस के सागर, राज, सम्पतियाबाई, संतलाल ने उसके घर में आकर लकड़ी से नाक, आँख और बाँये हाथ की अंगुलियों में मारा और आंगन में गन्दी-गन्दी गालियां दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपीगण के विरुद्ध 1 / 12 अन्तर्गत धारा 294, 447, 323, 34 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 447, 323, 457, 34 का अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 294, 323/34, 447, 457 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323/34, 447 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

(06) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपीगण ने दिनांक 29/12/2011 को समय 09:30 बजे, ग्राम लोरा थाना मलाजखण्ड कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी भानूप्रताप अजीत के मकान में जो कि मानव निवास व सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है में सूर्यस्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी भानूप्रताप (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 29.12.2011 को रात के 10:30 बजे ग्राम लोरा में उसके घर की है। उसके घटना ड्रायवर ने पैसे व सायकिल मांगी तो उसने मना कर दिया और घर आ गया। सागर और सम्पतिया ने बोला कि ड्रायवर जीतू को पैसे क्यों नहीं दिये और घर में आकर सागर, राज, सम्पतिया, संतलाल ने लठ से सिर व नाक पर मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुजीत (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन माह पुरानी रात के 10:30 बजे भानूप्रताप के घर की है। भानूप्रताप घर में सोया हुआ था। राज और सागर ने लकड़ी से मारा था। सम्पतियाबाई और संतलाल भी मौजूद थे। भानूप्रताप को नाक में चोट आई थी तो वह भानूप्रताप को डाक्टर के पास ले गया था।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी समारूलाल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी रात्रि 10-11 बजे की ग्राम लोरा भानूप्रताप के मकान की है। वह भानूप्रताप के घर बैठा हुआ था। आरोपी सागर व राज लकड़ी लेकर आये व घर का दरवाजा खोला। भानूप्रताप सोया हुआ था। आरोपीगण ने लकड़ी से मारना शुरू कर दिया था। आरोपीगण ने माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी थी बहुत हुल्लड़ किया था। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से भानूप्रताप को माथे पर चोट आई थी इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते

हुए अभियोजन साक्षी रामकली (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी रात्रि के 11:00 बजे की है। वह भानूप्रताप के घर 09:00 बजे बैठी हुई थी। भानूप्रताप सोया हुआ था आरोपी सागर लकड़ी लेकर आया और गेट हो लात मारा और भानूप्रताप के घर के अन्दर आया उसके बाद राज भी आ गया और भानूप्रताप को लकड़ी से मारने लगे। उसी समय संतलाल व सम्पतिया बाई भी घर के अन्दर आ गये और माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामकिशोर (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 03.01.2012 को सान्हा क्रमांक 1069 की जांच पर से एवं भानूप्रताप के कथन एवं साक्षियों के कथन के पश्चात् प्रदर्श पी-3 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था, जिसका अपराध क्रमांक 1/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 447, 34 भा.दं.वि. के तहत दर्ज किया था। विवेचना के दौरान दिनांक 04.01.2012 को प्रार्थी की निशान देही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थी भानूप्रताप, साक्षी सुजीत, समारूलाल एवं दिनांक 05.01.2012 को साक्षी भूमेश्वरी, रामकलीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 08.01.2012 को आरोपी सागर से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त की। उक्त दिनांक को ही आरोपी राज से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। दिनांक 08.01.2012 को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत 9 तैयार किया था।

(11) अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एस.एस.उडके (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 30.12.2011 को आरक्षक क्रमांक 823 लेखेश्वर द्वारा आहत भानूप्रताप पिता माहेलाल उम्र 35 साल, जाति गढ़ेवाला निवासी लोरा को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने निम्न चोटें पाई :- चोट क्रमांक 1- एक कट्टा-फट्टा घाव जो 2 ईंच बांयी 1/2 ईंच, दाहिनी आंख के उपर पाया था। चोट क्रमांक 2- एक कट्टा-फट्टा जो 1/2 ईंच बांयी 1/2 ईंच, नाक के उपर पाया था। चोट क्रमांक 3- एक कट्टा-फट्टा घाव अनियमित आकार लिये हुए जो बांयी इन्डेक्स फिंगर (अंगूठे के बगल वाली अंगुली) में था। उसके द्वारा तीनों को एक्सरे कराने एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 10.01.2012 को आरक्षक 823 द्वारा आहत भानूप्रताप पिता मोहेलाल उम्र 35 साल निवासी लोरा को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाने पर उसने भानूप्रताप के सिर का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट नं. 894 है जो आर्टिकल ए-1 है, परीक्षण में उसने अस्थिभंग होना नहीं पाया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी भानूप्रताप अजीत ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने रंजिश वश झूठे कथन किये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(13) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादी भानूप्रताप (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 29.12.2011 को रात के 10:30 बजे ग्राम लोरा में उसके घर की है। उसके

ड्रायवर ने पैसे व सायकिल मांगी तो उसने मना कर दिया और घर आ गया। सागर और सम्पतिया ने बोला कि ड्रायवर जीतू को पैसे क्यों नहीं दिये और घर में आकर सागर, राज, सम्पतिया, संतलाल ने लठ से सिर व नाक पर मारा था, जिससे वह बेहोश हो गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुजीत (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन माह पुरानी रात के 10:30 बजे भानूप्रताप के घर की है। भानूप्रताप घर में सोया हुआ था। राज और सागर ने लकड़ी से मारा था। सम्पतियाबाई और संतलाल भी मौजूद थे। भानूप्रताप को नाक में चोट आई थी तो वह भानूप्रताप को डाक्टर के पास ले गया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी समारूलाल (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी रात्रि 10-11 बजे की ग्राम लोरा भानूप्रताप के मकान की है। वह भानूप्रताप के घर बैठा हुआ था। आरोपी सागर व राज लकड़ी लेकर आये व घर का दरवाजा खोला। भानूप्रताप सोया हुआ था। आरोपीगण ने लकड़ी से मारना शुरू कर दिया था। आरोपीगण ने मों-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी थी बहुत हुल्लड़ किया था। आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से भानूप्रताप को माथे पर चोट आई थी व टाके लगे थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी रामकली (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी रात्रि के 11:00 बजे की है। वह भानूप्रताप के घर 09:00 बजे बैठी हुई थी। भानूप्रताप सोया हुआ था आरोपी सागर लकड़ी लेकर आया और गेट हो लात मारा और भानूप्रताप के घर के अन्दर आया उसके बाद राज भी आ गया और भानूप्रताप को लकड़ी से मारने लगे। उसी समय संतलाल व सम्पतिया बाई भी घर के अन्दर आ गये और मों-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता रामकिशोर (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 03.01.2012 को सान्हा क्रमांक 1069 की जांच पर से एवं भानूप्रताप के कथन एवं साक्षियों के कथन के पश्चात् प्रदर्श पी-3 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था, जिसका अपराध क्रमांक 1/12 अन्तर्गत धारा 294, 323, 447, 34 भा.दं.वि. के तहत दर्ज किया था। विवेचना के दौरान दिनांक 04.01.2012 को प्रार्थी की निशान देही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-1 तैयार किया। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थी भानूप्रताप, साक्षी सुजीत, समारूलाल एवं दिनांक 05.01.2012 को साक्षी भूमेश्वरी, रामकलीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 08.01.2012 को आरोपी सागर से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार एक बांस की लकड़ी जप्त की। उक्त दिनांक को ही आरोपी राज से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था। दिनांक 08.01.2012 को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 से लगायत 9 तैयार किया था। साक्षी के

कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एस.एस.उडके (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 30.12.2011 को आरक्षक क्रमांक 823 लेखेश्वर द्वारा आहत भानूप्रताप पिता माहेलाल उम्र 35 साल, जाति गढ़ेवाला निवासी लोरा को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। परीक्षण करने पर उसने निम्न चोटें पाई :- चोट क्रमांक 1- एक कट्टा-फट्टा घाव जो 2 ईंच बांयी 1/2 ईंच, दाहिनी आंख के उपर पाया था। चोट क्रमांक 2- एक कट्टा-फट्टा जो 1/2 ईंच बांयी 1/2 ईंच, नाक के उपर पाया था। चोट क्रमांक 3- एक कट्टा-फट्टा घाव अनियमित आकार लिये हुए जो बांयी इन्डेक्स फिंगर (अंगूठे के बगल वाली अंगुली) में था। उसके द्वारा तीनों को एकसरे कराने एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये एवं अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 10.01.2012 को आरक्षक 823 द्वारा आहत भानूप्रताप पिता मोहेलाल उम्र 35 साल निवासी लोरा को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाने पर उसने भानूप्रताप के सिर का एकसरे किया था, जिसका एकसरे प्लेट नं. 894 है जो आर्टिकल ए-1 है, परीक्षण में उसने अस्थिभंग होना नहीं पाया। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(20) अभियोजन साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी भानूप्रताप (अ.सा.01), सुजीत (अ.सा.02), समारूलाल (अ.सा.03), रामकली (अ.सा.04) के कथनों एवं विवेचनाकर्ता रामकिशोर (अ.सा.06) एवं मेडीकलकर्ता अभियोजन साक्षी डॉक्टर एस.एस.उडके (अ.सा.05) व डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.07) के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया, जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद माना जाये। आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क हैं कि फरियादी भानूप्रताप ने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने झूठे कथन किये हैं। किन्तु इस संबंध में आरोपीगण के अधिवक्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि आरोपीगण के विरुद्ध फरियादी भानूप्रताप ने झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है और अभियोजन साक्षियों ने झूठे कथन किये हैं।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया ने दिनांक 29/12/2011 को समय 09:30 बजे, ग्राम लोरा थाना मलाजखण्ड कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी भानूप्रताप अजीत के मकान में जो कि मानव निवास व सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है में सूर्यस्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया पूर्व से जमानत पर है,

उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(24) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

(26) आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया का यह प्रथम अपराध है। आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उन्हें कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(27) आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(29) आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया ने दिनांक 29/12/2011 को समय 09:30 बजे, ग्राम लोरा थाना मलाजखण्ड कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से फरियादी भानूप्रताप अजीत के मकान में जो कि मानव निवास व सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है में सूर्यस्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सागर, राज, संतलाल, सम्पतिया को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500-500/-रुपये (अक्षरी रूपये पांच-पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(30) आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा दो बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(32) निर्णय की एक-एक प्रति आरोपी सागर, राज संतलाल, सम्पतिया को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)